

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 60 : Provisional assessment

- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), where the taxable person is unable to determine the value of goods or services or both or determine the rate of tax applicable thereto, he may request the proper officer in writing giving reasons for payment of tax on a provisional basis and the proper officer shall pass an order, within a period not later than ninety days from the date of receipt of such request, allowing payment of tax on provisional basis at such rate or on such value as may be specified by him.
 - (2) The payment of tax on provisional basis may be allowed, if the taxable person executes a bond in such form as may be prescribed, and with such surety or security as the proper officer may deem fit, binding the taxable person for payment of the difference between the amount of tax as may be finally assessed and the amount of tax provisionally assessed.
 - (3) The proper officer shall, within a period not exceeding six months from the date of the communication of the order issued under sub-section (1), pass the final assessment order after taking into account such information as may be required for finalizing the assessment:
Provided that the period specified in this sub-section may, on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, be extended by the Joint Commissioner or Additional Commissioner for a further period not exceeding six months and by the Commissioner for such further period not exceeding four years.
 - (4) The registered person shall be liable to pay interest on any tax payable on the supply of goods or services or both under provisional assessment but not paid on the due date specified under sub-section (7) of section 39 or the rules made thereunder, at the rate specified under sub-section (1) of section 50, from the first day after the due date of payment of tax in respect of the said supply of goods or services or both till the date of actual payment, whether such amount is paid before or after the issuance of order for final assessment.
 - (5) Where the registered person is entitled to a refund consequent to the order of final assessment under sub-section (3), subject to the provisions of sub-section (8) of section 54, interest shall be paid on such refund as provided in section 56.
-

धारा 60 : अनंतिम निर्धारण

- (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कराधेय व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उनको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ है, वहां वह अनंतिम आधार पर कर के संदाय के कारणों को देते हुए समुचित अधिकारी को लिखित में अनुरोध कर सकेगा और समुचित अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन से अपश्चात् की अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के संदाय को अनुज्ञात करते हुए आदेश पारित करेगा।
- (2) अनंतिम आधार पर कर के संदाय को अनुज्ञात किया जा सकेगा, यदि कराधेय व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए एक बंधपत्र ऐसे प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति, जो समुचित अधिकारी उचित समझे और जो कराधेय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले कर और अनंतिम रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर का संदाय करने के लिए आबद्ध करती हो, के साथ निष्पादित करता है।
- (3) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को गणना में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा:

परन्तु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक की आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

- (4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अनंतिम निर्धारण के अधीन संदेय कर, किन्तु जिसका संदाय धारा 39 की उपधारा (7) या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन नियत तारीख पर नहीं किया गया है, पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर माल या सेवाओं या दोनों की उक्त पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने की नियत तारीख के पश्चात् प्रथम दिवस से संदाय की वास्तविक तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा, चाहे ऐसी रकम का संदाय अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो।
- (5) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 54 की उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा (3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है वहां ऐसे प्रतिदाय पर धारा 56 में यथा उपबंधित ब्याज का संदाय किया जाएगा।